



उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 3514/2026

शिव प्रसाद यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- संकेत पांडे, सौरभ यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत आवेदन आवेदक को थाना अमेठी, जनपद अमेठी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 293/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 61(2) के अन्तर्गत जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. उपर्युक्त मुकदमा अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जो दिनांक 23.10.2025 को 5 नामजद व्यक्तियों, जिनमें आवेदक का नाम सम्मिलित नहीं है, तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित है कि जब सूचनाकर्ता का बड़ा भाई मजदूरी का कार्य करके वापस लौट रहा था, तब सूचनाकर्ता के पड़ोसी रवि कश्यप तथा सूचनाकर्ता की बहन के बहनोई हयूबेलाल उर्फ दीपक ने लाठियों से पीटकर उसकी हत्या कर दी। सूचनाकर्ता ने यह स्पष्ट किया कि उसे इस संबंध में संदेह था तथा उसने यह भी कथन किया कि उसकी बहन सतना, बहन की पुत्री शोभा तथा राम अभिलाख उर्फ लल्लू की पत्नी करमैला भी इस षड्यंत्र में सम्मिलित थीं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. दिनांक 24.10.2025 को परिवादी ने प्रभारी निरीक्षक को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसका अपनी बहन सतना के साथ मनमुटाव है। दीपावली के अवसर पर अरुण यादव, दिवाकर यादव, शिव प्रसाद यादव तथा वंशराज उर्फ बंटू, सतना के घर आए थे। सतना अपने भाई निर्मल की हत्या कराने का षड्यंत्र रच रही थी। अरुण ने उसका समर्थन करते हुए कहा था कि वह अन्य तीन व्यक्तियों से निर्मल की हत्या करवा देगा। उक्त बातचीत परिवादी की पत्नी ने सुनी तथा उसे देखा भी था, किन्तु उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात इस संबंध में परिवादी को बताया है।

5. परिवादी की पत्नी ने भी इसी आशय का बयान दिया तथा बताया कि पूर्व में उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात उसने अपने पति को इस संबंध में बताया। इसके पश्चात् विवेचना अधिकारी ने कथित प्रत्यक्षदर्शी राम कुमार यादव एवं अभिषेक शुक्ला के बयान अभिलेखित किए, जिन्होंने यह बताया कि उन्होंने दिवाकर यादव, शिव प्रसाद यादव एवं वंशराज को मृतक पर लाठियों से प्रहार करते हुए देखा था।

6. जमानत आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र में यह कहा गया है कि आवेदक 24 वर्ष की आयु का युवक है तथा उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभिषेक शुक्ला पंचायतनामा की कार्यवाही का भी साक्षी था, किन्तु उसने यह नहीं बताया कि उसने आवेदक तथा अन्य व्यक्तियों को मृतक पर हमला करते हुए देखा था, जिससे यह प्रतीत होता है कि उसने वास्तव में उक्त घटना को नहीं देखा था और बाद में विचार-विमर्श कर उसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उन्हें उपलब्ध कराए गए निर्देशों के आधार पर जमानत आवेदन का विरोध किया तथा यह प्रस्तुत किया कि अभियोग दैनिकी में यह अंकित है कि आवेदक तथा अन्य दो व्यक्ति, अर्थात् दिवाकर यादव एवं वंशराज उर्फ बंटू, घटना स्थल की ओर मोटरसाइकिल से जाते हुए देखे गए थे और यह तथ्य सीसीटीवी फुटेज में भी अंकित है। हालांकि, न्यायालय ने विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को इस तथ्य का पुनः सत्यापन करने का अवसर प्रदान किया कि क्या अभियुक्तगण घटना के समय एवं घटना स्थल के निकट देखे गए थे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. व्हाट्सएप के माध्यम से अतिरिक्त लिखित निर्देश प्राप्त होने पर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि आवेदक तथा अन्य दो व्यक्तियों को घटना से एक दिन पूर्व देखा गया था, न कि घटना के समय के निकट देखा गया था।

10. उपर्युक्त तथ्यों एवं मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है; यह तथ्य विचित्र प्रतीत होता है कि परिवादी का यह कहना है कि उसकी पत्नी ने आवेदक तथा अन्य व्यक्तियों को परिवादी के भाई की हत्या कराने के लिए उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने के संबंध में बातचीत करते हुए सुना एवं देखा था, जबकि परिवादी एवं उसकी बहन के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और दोनों के मध्य बातचीत भी नहीं होती थी; यह भी विचित्र है कि उक्त बातचीत को सुनने एवं देखने के बावजूद परिवादी की पत्नी ने परिवादी के भाई की मृत्यु के पश्चात् भी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने तक इस संबंध में किसी को नहीं बताया और बाद में इससे अवगत कराया; परिवादी द्वारा उक्त अवगत कराये जाने के पश्चात् अभिषेक शुक्ला ने कहा कि उसने घटना देखी थी, जबकि अभिषेक शुक्ला पंचायतनामा की कार्यवाही का साक्षी था और उसने पूर्व में इस तथ्य को प्रकट नहीं किया था, जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि अभिषेक शुक्ला को बाद में विचार-विमर्श कर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है; तथा यह स्पष्ट करते हुए कि उपर्युक्त टिप्पणियों का विचारण के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरा यह मत है कि उपर्युक्त तथ्य आवेदक को उपर्युक्त मामले में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु पर्याप्त हैं।

11. तदनुसार, प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

12. आवेदक - **शिव प्रसाद यादव** को उपर्युक्त मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नवत् शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा।

जून 30, 2026

एमकेएस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।